102

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण क्रमांक पीबीआर/निगरानी/होशंगाबाद/भू.रा./2017/3336 विरूद्ध आदेश दिनांक 18.08.2017 पारित द्वारा अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद प्रकरण क्रमांक 90/अपील/2016-17.

---

1. केशव प्रसाद आ. देवीप्रसाद भार्गव
2. सेवदत्त प्रसाद आ. स्व. सतानंद उर्फ मंगलप्रसाद भार्गव
3. घनश्याम आ. स्व. सतानंद उर्फ मंगलप्रसाद भार्गव
4. सावित्रीबाई पत्नी स्व. सतानंद उर्फ मंगलप्रसाद भार्गव

सभी निवासी- ग्राम कन्हवार तहसील पिपरिया

जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....आवेदकगण

विरूद्ध

श्रीमती कमलाबाई पुत्री देवी प्रसाद भार्गव

पत्नी श्री भवानीशंकर भार्गव

निवासी इंदिरा कॉलोनी हथवास तह. पिपरिया

जिला होशंगाबाद, म.प्र. .....अनावेदक

श्री केशव दुबे, अभिभाषक, आवेदकगण

श्री सी.एम. गुप्ता, अभिभाषक, अनावेदक

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 14/9/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित दिनांक 18.08.2017 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि ग्राम कन्हवार स्थित भूमि खसरा नंबर 270 रकबा 3.80 एकड़ भूमि घनश्याम, पवन कुमार आ. स्व. सतानंद, सावित्रीबाई पत्नी स्व. सतानंद एवं कमलाबाई पुत्री देवीप्रसाद, केशवप्रसाद आ. देवीप्रसाद के नाम राजस्व अभिलेख में दर्ज थी। सभी सहखातेदार पारिवारिक बंटवारे अनुसार काबिज कर रहे हैं। अनावेदिका कमलाबाई द्वारा म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 178 के तहत तहसीलदार, पिपरिया के समक्ष इस आशय का आवेदन प्रस्तुत किया गया कि उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर बंटवारा कर पृथक-पृथक नाम दर्ज किये जाये। तहसीलदार द्वारा प्रकरण क्र. 58/अ-27/2012-13 दर्ज कर दिनांक 30.11.2013 को आदेश पारित कर उक्त प्रश्नाधीन भूमि पर सहखातेदारों के बीच समान बंटवारा करते हुए राजस्व अभिलेख में नाम दर्ज किये गये। तहसीलदार के आदेश के विरूद्ध आवेदकगण द्वारा प्रथम अपील अनुविभागीय अधिकारी, पिपरिया के समक्ष प्रस्तुत की गई। अनुविभागीय अधिकारी द्वारा दिनांक 19.10.2016 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद के समक्ष प्रस्तुत की गई। अपर आयुक्त द्वारा दिनांक 18.08.2017 को आदेश पारित कर अपील अस्वीकार की गई। अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा निगरानी मेमो के आधार पर मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अधीनस्थ अपीलीय न्यायालयों द्वारा इस तथ्य की ओर ध्यान नहीं दिया गया कि तहसीलदार ने आवेदकगण को जवाब का अवसर एवं अपने पक्ष समर्थन का अवसर नहीं दिया। इसके पश्चात् भी उक्त आदेश को निरस्त न करने की भारी भूल की गई है, जो अभिलेख से स्पष्ट है। इस आधार पर भी आवेदकगण द्वारा प्रस्तुत याचिका स्वीकार किये जाने योग्य है एवं अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा पारित आदेश विधि विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह भी कहा गया कि उक्त प्रकरण में स्वत्व का प्रश्न निहित था, जिसके लिए बंटवारे की कार्यवाही को स्वत्व के निराकरण हेतु स्थगित न किये जाने हेतु कोई आदेश पारित नहीं किया है, जो कि विधि की भारी भूल है। इस तथ्य की ओर ध्यान न देते हुए भी अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा आदेश पारित करने में भूल की गई है, जो निरस्त किये जाने योग्य है। अंत में तर्क प्रस्तुत

किया गया कि अधीनस्थ न्यायालयों ने इस ओर भी ध्यान नहीं दिया कि आवेदकगण के पक्ष में अनावेदिका द्वारा निष्पादित स्वत्व का दस्तावेज (हक त्याग विलेख) होने के आधार पर पारित बंटवारे आदेश को स्थगित करना था, किन्तु उक्त दस्तावेज की वैधानिकता की जांच अपंजीकृत मानते हुए बंटवारे को विधिवत मानने की भूल की है, इसलिए भी पारित आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। अत: उनके द्वारा निगरानी स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालयों के आदेश निरस्त करने का अनुरोध किया गया।

4/ अनावेदिका के विद्वान अभिभाषक द्वारा लिखित तर्क में मुख्य रूप से निम्नलिखित आधार उठाये गये हैं-

(1) अनावेदिका द्वारा मूल न्यायालय में आवेदन पत्र देकर अपने अंश भाग का बंटवारा कराने हेतु प्रस्तुत किया। यह आवेदन स्वीकार करते हुए अधीनस्थ न्यायालय ने सभी लोगों का बंटवारा स्वीकार कर बराबर अंश के हिसाब से बंटवारा किया। प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा भी इस आदेश की पुष्टि की गई तथा द्वितीय अपील में भी इस आदेश की पुष्टि की गई, क्योंकि कोई भी अवैधानिकता, अनियमितता, असंगतता तथा कोई आधारहीनता इन केशों की कार्यवाही में नहीं पाई गई।

(2) आवेदक पक्ष का यह कहना कि एक अपंजीकृत दस्तावेज स्वत्व का हक त्याग विलेख होने के कारण यह अनावेदिका बंटवारा कराने की पात्र नहीं है। अधीनस्थ न्यायालयों के द्वारा उक्त तथ्य के संबंध में कानूनी निष्कर्ष देते हुए, यह माना है कि रजिस्ट्रीकरण अधिनियम 1908 भाग 3 धारा 17 (क) के अंतर्गत ऐसी किसी भी दस्तावेज का रजिस्ट्रेशर किया जाना जरूरी होकर अनिवार्य है। इस कारण से अपंजीकृत दस्तावेज के आधार पर कोई स्वत्व हित, अधिकार आवेदकगण को प्राप्त नहीं होते हैं।

(3) समवर्ती 3 न्यायालयों के आदेश जब हों तब ऐसी दशा में निगरानी याचिका प्रस्तुत करने पर कोई औचित्य शेष नहीं रह जाता है, इस तर्क के समर्थन में रा.नि. 2012 पेज 391, रा. नि. 2012 पेज 409 एवं रा. नि. 2012 पेज 438 के न्याय दृष्टांत प्रस्तुत किये गये हैं।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदकगण द्वारा हक त्याग संबंधी प्रस्तुत दस्तावेज, जिसमें अनावेदक द्वारा उसके हिस्से की भूमि आवेदकगण के पक्ष में हक त्याग की गई है, उप

पंजीयक कार्यालय में रजिस्टर्ड नहीं है। बगैर रजिस्टर्ड दस्तावेज के संपत्ति का अंतरण नहीं किया जा सकता है। अत: प्रकरण में तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा विधिसंगत आदेश पारित किये गये हैं। इस प्रकार तीनों अधीनस्थ न्यायालयों द्वारा निकाले गये समवर्ती निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं। इस संबंध में 2012 आर.एन. 438 तुलसीराम विरूद्ध सालिगराम में निम्नलिखित न्यायिक सिद्धांत प्रतिपादित किया गया है:-

"धारा 50 - तीनों निचले न्यायालयों के एक ही निष्कर्ष - पुनरीक्षण में हस्तक्षेप अपेक्षित नहीं।"

उपरोक्त न्यायिक सिद्धांत के प्रकाश में आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश 18.08.2017 नीतिगत एवं उचित होने से स्थिर रखे जाने योग्य है।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर आयुक्त, नर्मदापुरम् संभाग, होशंगाबाद द्वारा पारित आदेश दिनांक 18.08.2017 स्थिर रखा जाता है। निगरानी निरस्त की जाती है।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर